26.05.25 पत्रावली पेश। अधिवक्ता उभय पक्ष उप०। अधिवक्ता प्रार्थीयागण द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि मौजा कालुपुरा, पटवार हल्का पुर, तहसील सांचौर के खेत खसरा नं. 1417/1702, 1420, 1430, 1431, 1432 कुल रकबा 6.87 हेक्टेयर, ख. नं. 1418 रकबा 0.14 हेक्टेयर व मौजा राजीवनगर के खेत खसरा नम्बर 969 रकबा 4.45 हेक्टेयर को न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.06.12 17:06:36 IST
Reason: SelfAttested

...क कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा नम्बर 71/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए।
	श्रीमान द्वारा दिनांक 03.09.2024 द्वारा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी। बाद अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण को भूमी किसी अजनबी व्यक्ति को बेचान की धमकी देते रहते है। अत: श्रीमान से निवेदन है कि उपरोक्त खसरान में मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावें। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रति स. 02 की ओर से जरिये अधिवक्ता श्री आलाराम पूनिया द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने की नियत से पेश किया है। अप्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना में वर्णित सारे तथ्य मनगढ़त पेश किये है। अत: निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमावे।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.06.12 17:06:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक क[illegible]र, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा नम्बर 71/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म में ज...
	हमने उभय पक्षकारान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज़ का अवलोकन किया। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति उक्त तीनों सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। -: आदेश :- अत: प्रार्थीगण के पक्ष में व अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय की मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा कालुपुरा, पटवार हल्का के खेत ख.नं. 1517/1702, 1520, 1530, 1531, 1532 कुल रकबा 6.87 हे., ख.नं. 1518 रकबा 0.14 हेक्टेयर व राजीव नगर के खेत ख.नं. 969 रकबा 4.45 हेक्टेयर में राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये [illegible]। फैसल सुनाया [illegible] होकर [illegible] होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर, सांचौर (उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.06.12 17:06:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner